

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

(समेकित बाल विकास योजना)

प्रेषक,

दिनांक -----

.....
.....
.....

सेवा में,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-

-सह-अपर समाहर्ता

जिला (झारखण्ड)

विषय:-

समेकित बाल विकास योजना से संबंधित शिकायत-पत्र।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास योजना के संबंध में मुझे निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:-

(1)

(2)

(3)

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के आलोक में नियमसंगत अधिकार दिलाया जाय। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

धन्यवाद।

आवेदक का पूरा नाम पिता/पति का नाम

मोबाईल सं० (यदि है तो)

आधार कार्ड सं० (यदि है तो)

आँगनबाड़ी केन्द्र का विवरण -----

आवेदक का हस्ताक्षर